

पथ निर्माण विभाग

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा।	योजना/कार्यक्रम सेवाएँ के तहत दी जाने वाली लाभ	व्यक्ति जिसे लाभ दिया जाता हो	स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी का नाम
1	2	3	4	5
1	टॉल संग्रहण	– यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), भारत सरकार के अधीन है।	–	–
2	पुल/पुलिया निर्माण/मरम्मति एवं अन्य संबंधित कार्य	– इस योजना के तहत राज्य अंतर्गत निर्बाध एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य की प्रमुख नदियों पर पुलों का नेटवर्क तैयार किया जाता है जो राज्य में निर्बाध आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने में सहायक है।	आम जनता	विभागीय नियंत्री पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता
3	SH/NH/MDR निर्माण/मरम्मति/गुणवत्ता एवं अन्य संबंधित कार्य	– State Highway (SH), National Highway (NH), Major District Road (MDR) के श्रेणी के पथों का निर्माण/मरम्मति व गुणवत्ता का कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिहार राज्य के अंतर्गत वर्तमान में कुल 5977 कि०मी० राष्ट्रीय उच्च पथ है, जिसमें 3122 कि०मी० भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं 2855 कि०मी० MORTH के अधीन है।	आम जनता	विभागीय नियंत्री पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता
4	OPRMC (Output & Performance based road asset maintenance contract) के तहत सड़क का अनुरक्षण	– पथ निर्माण विभाग द्वारा OPRMC के तहत अच्छी सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उसके उत्कृष्ट संधारण हेतु नये-नये तकनीक का उपयोग कर रहा है। विभागीय पथों के उत्कृष्ट संधारण के लिए साक्ष्य आधारित विस्तृत एवं सटीक अनुश्रवण हेतु एक नई एवं बेहतर व्यवस्था पथ संधारण ऐप तथा मुख्यालय स्थित कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर (Control and command centre) की स्थापना की गई है जिसमें मोबाईल ऐप के माध्यम से पथ की खराबियों का वास्तविक काल (Real Time) अनुश्रवण के साथ-साथ क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा निर्धारित निरीक्षण चक्र सुनिश्चित कराया जा रहा है।	आम जनता	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता
5	संवेदक के भुगतान संबंधित मामले	– Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008 लागू है।	–	–